न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(a) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या–16/2021–22

–: आदेश :–

14–फारम संख्या–560

...ा की ... संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29/11/2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) बासु माँझी पिता स्व0 गाजु माँझी, जाति–संथाल, ग्राम–बेड़ानी, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत **मौजा–बेड़ानी, थाना नं0–129 के खाता नं0–21, प्लॉट नं0–630, रकवा–0.75 एकड़** भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 361/भू0सु0, दिनांक 23.06.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2369 दिनांक 24.11.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :– 1. बिक्री की जाने वाली भूमि **रैयती** खाते की है जिसका सर्वे खतियान **राम माँझी** के नाम से दर्ज है। 2. (क) विक्रेता **ग्राम–बेड़ानी, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला– बोकारो, झारखण्ड** के मूल निवासी हैं। (ख) क्रेता **ग्राम–तेलमटिया, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला– बोकारो, झारखण्ड** के मूल निवासी हैं। 3. विक्रेता एवं केता जाति के **संथाल** हैं, जो **अनुसूचित जन जाति** के श्रेणी में आते हैं। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात **2.50** एकड़ भूमि शेष बचता है। 5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को **खतियान** द्वारा प्राप्त है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ संख्या–**5/47** में कायम है। लगान रसीद **2020–21** तक निर्गत है। 8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है। 9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। 10. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे किस्म **गोड़ा तीन** है। 11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा **मौजा–बेड़ानी, थाना नं0–129 के खाता नं0–21, प्लॉट नं0–630, रकवा–0.75 एकड़** भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

Scanned with CamScanner

अनुसूची 14–फारम संख्या–560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0–JHLRCO/2021/113790 दिनांक 19.02.2021, एवं क्रेता का स्थानीय स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0–JHRC/2021/182529 दिनांक 10.05.2021 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(a) के तहत आवेदक (विक्रेता) बासु माँझी पिता स्व0 गाजु माँझी, जाति–संथाल, ग्राम–बेड़ानी, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा–बेड़ानी, थाना नं0–129 के खाता नं0–21, प्लॉट नं0–630, रकवा–0.75 एकड़ भूमि (क्रेता) गंगा देवी पति शिबु माँझी, जाति–संथाल, ग्राम–तेलमटिया, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला– बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	

Digitally signed by Jemes Surin
Date: 2021.12.20 15:47:02 +05:30
Location: 10.93.7.70

Scanned with CamScanner